न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी :– श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः– 09 / 2021

प्रार्थी::–

1. उम्मेदसिंह पुत्र गुमानसिंह
2. महेन्द्रसिंह पुत्र गुमानसिंह कौम राव निवासी राखी तहसील समदड़ी

–::बनाम::–

विप्रार्थी::–

1. श्रीमती सायरा पत्नी काना कौम मोयला मुसलमान निवासी राखी तहसील समदडी
2. तहसीलदार सिवाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– 1. श्री गजेसिंह वकील प्रार्थीगण
2 श्री किशोरीलाल सोनी वकील विप्रार्थी संख्या 1

आदेश दिनांक :–09.01.2023

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1499/161 रकबा 05.0181 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 160 रकबा 2.2339 हैक्टेयर ग्राम राखी तहसील समदड़ी मे अवस्थित है, जिन पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उक्त दोनों खसरे एक दूसरे से लगते हुए हैं। प्रार्थीगण के खसरा संख्या 1499/161 की भूमि के दक्षिण में विप्रार्थिनी संख्या 1 का खातेदारी खेत खसरा संख्या 1516/162 रकबा 01.0441 हैक्टेयर है। राखी से राखी रेल्वे स्टेशन सड़क तक अपने खेत से आवागमन हेतु विप्रार्थिनी संख्या 1 की उक्त खातेदारी भूमि में से कदीमी रूप से चल रहे रास्ते से गुजरना इकलौता विकल्प है। उक्त रास्ता अपनी खातेदारी भूमि में अवस्थित होने के कारण विप्रार्थिनी संख्या 1 काश्त के मौसम में काश्त के जरिये अवरूद्ध कर दिये जाने से प्रार्थीगण के आवागमन एवं कृषि सयंत्र परिवहन में विकट समस्या खड़ी हो जाती है। अतः प्रार्थीगण ने आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'अ' में लाल से दर्शित खसरा संख्या 1516/162 की भूमि को गैर मुमकिन रास्ते के रूप राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

आवेदन पंजीयन कर जरीये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थिनी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने विप्रार्थिनी संख्या 1 को नुकसान पहुँचाने की नीयत से प्रस्तुत किया है। आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा [illegible] 'अ' में जो भूमि रास्ते हेतु मांगी है, उस पर विप्रार्थिनी संख्या [illegible] हुआ है, जिसमें उसका रहवास है। उक्त [illegible] रास्ते के लिए प्रयुक्त [illegible] हुई है और प्रार्थीगण के आवागमन के लिए रास्ता पहले से विद्यमा[illegible] इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण ने आवेदन के संलग्न शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया है। साथ ही प्रार्थीगण ने रास्ता केवल खसरा संख्या 1499/161 में ही मांगा है। अतः प्रार्थीगण की उक्त मांग गलत तथ्यों पर आधारित होने एवं रास्ता पूर्णतः विद्यमान होने के बावजूद विप्रार्थिनी को क्षति पहुँचाने की बदनीयत से प्रस्तुत किया गया होने से खारिज की जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.02.14 11:27:19 IST
Reason: SelfAttested

उक्त जवाब के साथ विप्रार्थिनी संख्या 1 ने इस आशय का आपति प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया कि रास्ते हेतु मांगी गई भूमि मौके पर खाली नहीं हैं, उस पर न केवल विप्रार्थिनी संख्या 1 का रहवास है, बल्कि आवासीय भूखण्ड भी कटे हुए हैं, किन्तु भू अभिलेख निरीक्षक ने इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार गलत मौका रिपोर्ट के आधार पर रास्ता स्वीकृत किये जाने पर विप्रार्थिनी संख्या 1 को अपूरणीय क्षति होगी।

प्रार्थना पत्र के तथ्यों के संबंध में तहसीलदार समदड़ी से रिपोर्ट तलब की गई, जो उन्होंने जरिये पत्र कमांक–राजस्व/2022/552 दिनांक 01.09.2022 प्रेषित की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस है कि प्रार्थी के खातेदारी खेतों से राखी–राखी रेल्वे स्टेशन सड़क तक आवागमन हेतु विप्रार्थिनी के खातेदारी खेत संख्या 1499/161 में से कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता ही इकलौता विकल्प है, जिसकी उन्हें आत्यंतिक आवश्यकता है। उक्त रास्ता विप्रार्थिनी संख्या 1 द्वारा अवरूद्ध कर दिये जाने से प्रार्थी के आवागमन एवं कृषि सयंत्र के परिवहन में विकट समस्या पैदा हो जाती है। अतः प्रार्थी उक्त रास्ते का परिशिष्ट 'अ' में दरसाये अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाने के अधिकारी है।

इसके विपरीत वकील विप्रार्थिनी संख्या 1 ने अपने जवाब एवं आपति प्रार्थनापत्र में उल्लेखित तथ्यों की अपनी बहस में पुनरावृति करते हुए प्रार्थीगण के आवागमन हेतु अन्य रास्ता पूर्वतः उपलब्ध होने, प्रस्तावित रास्ते पर उसका रहवास एवं आवासीय भूखण्ड होने की दलीलें देते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विप्रार्थिनी संख्या 1 को क्षति पहुंचाने की बदनीयत से से प्रस्तुत किया जाना बताया और अन्त में प्रार्थनापत्र खारिज करने की मांग की।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं तथा उक्त भूमि एवं राखी–राखी रेल्वे स्टेशन सड़क मार्ग के मध्य विप्रार्थिनी संख्या 1 का खातेदारी खेत है। विप्रार्थिनी ने प्रार्थी के पास पहले से आवागमन का अन्य रास्ता उपलब्ध होने का कथन किया है किन्तु उसने उक्त उपलब्ध रास्ते का न तो अपने जवाब व आपति पत्र में उल्लेख किया है और न ऐसे किसी रास्ते का कोई नक्शा ही प्रस्तुत किया है, जो उसके कथन की पुष्टि करता हो। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित रास्ते के रूट में उसका रहवासी मकान व आवासीय [illegible] का कथन किया है, किन्तु तहसीलदार की रिपोर्ट में ऐसा कोई [illegible] नहीं आया है और मौके पर प्रस्तावित भूमि रास्ते [illegible] है। अपने प्रार्थनापत्र में विप्रार्थिनी संख्या 1 ने पूर्व मौका रिपोर्ट को निरस्त करते हुए नई रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया किन्तु उन्होंने ऐसा कोई तथ्य अपने जवाब या आपति प्रार्थनापत्र में प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे नयी रिपोर्ट मंगवाने का कोई औचित्य प्रतीत होता हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.02.14 11:27:19 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 12 फीट एवं रकबा एक विस्वा है, उक्त रास्ते के अतिरिक्त

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

प्रार्थीगण के आवागमन का अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं है, उक्त रास्ते मौके पर प्रचलित है। ऐसी सूरत में माफिक प्रस्ताव एवं मौका रिपोर्ट खसरा संख्या 1516/162 में से रास्ता स्वीकृत किये जाने में कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम राखी तहसील समदडी की खसरा नम्बर 1499/161 रकबा 05.0181 हैक्टेयर भूमि से राखी–राखी सड़क रेल्वे स्टेशन सड़क तक आवागमन हेतु खसरा नम्बर 1516/162 रकबा 0.2347 हैक्टेयर में से तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तुत नक्शे में बरंग लाल से दर्शित भूमि, जिसकी चौड़ाई 12 फीट एवं रकबा 0.01 बीघा (एक विस्वा) होगी, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते में प्रभावित भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि जो क्षति पूर्ति के रूप में विप्रार्थिनी संख्या 1 को देय होगी, राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार समदड़ी को उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में सरकारी खाते में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में अमलदरामद व लट्ठा नक्शा में दुरूस्ती किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। मौका रिपोर्ट के संलग्न तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रस्तुत नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(दिनेश बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 09.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.02.14 11:27:19 IST
Reason: SelfAttested